2022/82

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थनापत्र	63/22	20-5-22	कोडलाई (ग्रा० कंवला)	फैसला 20/5/22		

श्री श्रीमति इन्द्रा W/o रामपाल कुमावत नि० कोडलाई वर्षीय 13 ... बनाम श्री लक्ष्मीलाल S/o नाथु कुमावत नि० कोडलाई वर्षीय 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी / रेस्पो.

... / प्रार्थी / अपी.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज **अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बनेड़ा** मुकाम सरदारनगर

...............**इन्द्रा पुत्री रामपाल कुमावत**............. बनाम ....**लक्ष्मीलाल पिता नाथु कुमावत**......

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 नं0 ....**63**.............. सन् .....**2022**..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	प्रार्थना पत्र केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुआ। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय **सरदारनगर**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 63/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1–इन्द्र पुत्री रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
2– किशनलाल पुत्र मिश्रीलाल कुमावत निवासी कोडलाई
3– गोविन्द पुत्र रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
4– चंता पत्नी उदयलाल कुमावत निवासी कोडलाई
5– पुष्पा पुत्री उदयलाल कुमावत निवासी कोडलाई
6– मुकेश पुत्र रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
7– लक्ष्मी पुत्री रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
8– लादीदेवी पत्नी रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
9– लाली पुत्री उदयलाल कुमावत निवासी कोडलाई
10– संजू पुत्री रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
11– समरथ लाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी कोडलाई
12– सुरेशचन्द्र पुत्र रामपाल कुमावत निवासी कोडलाई
13– सुशील पुत्र उदयलाल कुमावत निवासी कोडलाई

प्रार्थीगण

बनाम

1– लक्ष्मीलाल पिता नाथु कुमावत निवासी कोडलाई
2– रामपाल पिता बद्री कुमावत निवासी कोडलाई
3– तहसीलदार बनेड़ा

विपक्षीगण

उपस्थित :– प्रार्थीगण स्वयं

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया [illegible] सके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– **प्रार्थीगण** ग्राम **कोडलाई** तहसील [illegible] आराजी खसरा नम्बर 870/415 रकबा 0.5059 हे0 कुल किता 1 रकबा 0.5059 हे0 का [illegible] काश्तकार है वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी कराई जाये।

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रार्थी/अभिभाषक दिनांक **20/05/2022** को केम्प मुख्यालय सरदारनगर पर उपस्थित हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल, जमाबन्दी ग्राम **कोडलाई**

संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजियात के प्रार्थीगण संयुक्त खातदेरी दर्ज होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। नैसर्गिक सिद्वान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कोडलाई** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त संयुक्त खातदेरी की आराजियात **870/415 रकबा 0.5059 हे0** किता **1** रकबा **0.5059है0** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व न कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक **सरदारनगर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **500/-** रुपये कायम किये जाते हैं। प्रार्थीगण कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातदेरी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा